कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) जायल

क्रमांक/ भू०अ०/ प्राथमिक डिक्री/2021/744 दिनांक 12-2-2021

KWF for

प्रेषित :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक/ रीडर/ कोर्ट/ 2021/14 दिनांक 04-01-2021 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन है कि आपके पत्रांक 14 दिनांक 04-01-2021 की पालना में राजस्व वाद सं. 73/2019 भूराराम वगैरह बनाम धीसाराम वगैरह में जारी प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव मय ~~नक्शा~~ ~~नक्शा~~ प्रतिलिपि (नजरी नक्शा) तैयार कर लिया गया है।

अतः इस पत्र के संलग्न राजस्व वाद सं. 73/2019 का विभाजन प्रस्ताव मय ~~नक्शा ट्रेस~~ ~~प्रतिलिपि~~ (नजरी नक्शा) दो प्रतियों भेजी जा रही है।

अतः आपके न्यायालय के रा.वा.सं. 73/2019 के सम्बन्ध में पालना सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

संलग्न - विभाजन प्रस्ताव
दो प्रतियों में।

Scanned with CamScanner

मौका फर्द प्राथमिक डिक्री

आज दिनांक 02-02-2021 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] नागौर के राजस्व वाद सं० 73/2017 अनुसार भूराराम वगैरह बनाम बीरमाराम मे प्राथमिक डिक्री तहरीर जारी दिनांक 3.11.2020 तथा श्रीमान तहसीलदार साहब जायल के आदेश क्रमांक/भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/266 दिनांक 15-01-2021 की पालना मे हमराह पटवारी हल्का रोहिणा के साथ ग्राम सोडिला के ख०न० 612 रकबा 1.9344 हैक्टर ख०न० 643 रकबा 1.6754 हैक्टर ख०न० 1218/308 रकबा 0.8822 है० भूमि का मौका निरिक्षण किया गया। पूर्व मे जारी नोटिस अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में निम्नानुसार कब्जा काश्त अनुसार प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट तैयार की गई। ग्राम सोडिला ख०न० 612 रकबा 1.9344 है० भूमि किस्म बारानी 2 व ख०न० 643 रकबा 1.6754 किस्म बा. 2 जो कि खातेदार धीसाराम पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल के नाम दर्ज है व ख०न० 1218/308 रकबा 0.8822 है० किस्म बा.1 खातेदार भूराराम पुत्र धीसाराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज है।

मौके पर निम्न लिखित रूप से कब्जा काश्त पाया गया (नजरी नक्शानुसार)

1) भूराराम पुत्र धीसाराम जाति मेघवाल सा० देह खातेदार
   ख०न० 612 रकबा 1.3516 किस्म बा.2 लगान 3.34 रु. उत्तरी भाग
   ख०न० $\frac{1218}{308}$ रकबा 0.8822 किस्म बा.1 लगान 2.73 सम्पूर्ण

2) बीरमाराम पुत्र धीसाराम जाति मेघवाल सा० देह खातेदार
   ख०न० 612 रकबा 0.5828 है० किस्म बा.2 लगान 1.44 दक्षिण भाग
   ख०न० 643 रकबा 1.6754 है. किस्म बा.2 लगान 4.14 सम्पूर्ण

मौका फर्द मौके पर बनाकर एवं पढ़कर सुनाई गई एवं उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये

संलग्न- नजरी नक्शा

हुकमाराम
पटवारी रोहिणा
तह. जायल
दिनांक 02/02/2021

02-02-2021
भंवरलाल फरड़ोदा
निरीक्षक (भू.अ.) वृत ......
तहसील जायल (नागौर)

बिरमाराम

अ०नि० भूराराम

अ०नि० उगमाराम पु० किस्तूराम

2/02/2021
N. R. [illegible]

अ०नि० धीसाराम

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 73/2019

वादीगण –

1. भूराराम पुत्र घींसाराम जाति मेघवाल
2. बीरमाराम पुत्र घींसाराम जाति मेघवाल
   निवासीगण– सांडिला, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. घींसाराम पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल
   निवासी–सांडिला तहसील–जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री रामनारायण चौधरी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय दिनांक : 23/02/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में पिता–पुत्र है जिनके बडेर के खेत मौजा सांडिला तहसील जायल में खसरा नं. 510, 612, 643, 1153/1013 व वादी भूराराम के नाम से शामलाती कमाई से खरीदसुदा खेत खसरा नं. 1218/308 के रूप में स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 2 (क से ग) के अनुसार कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण वाद पत्र

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 09.08.2019 को जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश बिडीयासर ने वकालात नामा तथा इकबालिया जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली किये गये। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र के संबंध में इकबालिया जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह बिरमाराम पी.डब्ल्यू.-1, भूराराम पी.डब्ल्यू.-2 के शपथ पत्र के पेश हुये। नकल जमाबन्दी ग्राम-सांडिला तहसील-जायल सम्वत् 2070-2073 खाता संख्या 80/282 प्रदर्श-1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 खाता संख्या 12/15 प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2050-2053 प्रदर्श-3 पेश की। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये इकबालिया जवाब दावा के वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा में पक्षकारान के मध्य ग्राम सांडिला तहसील-जायल के खसरा नं. 510, 612, 643, 1153/1013 व सामलाती खरीद के खसरा नं. 1218/308 की भूमि का आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। मुतदाविया खेताय की भूमि में से खसरा नं. 510, 612, 643, 1153/1013 पुश्तैनी होना नकल जमाबंदी सम्वत् 2050-2053 प्रदर्श-1 से तथा खसरा नं. 1218/308 की भूमि भूराराम के नाम से खरीदसुदा पक्षकारान् की सामलाती से कमाई से खरीद

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

सुदा होना सम्पुष्ट होती है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का वाद पत्र के पैराज अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबालिया जवाब तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से ग) के अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 612 व 1218/308 643 की भूमि में वादी भूराराम के बंट में खसरा नं. 612 रकबा 11.19 बीघा में से उतरी भाग रकबा 8.07 बीघा व खसरा नं. 1218/308 रकबा 5.12 बीघा घोषित किये जाने की तथा वादी संख्या 2 भीरमाराम के बंट खसरा नं. 612 रकबा 11.19 बीघा में दक्षिणी भाग 3.12 बीघा व खसरा नं. 643 रकबा 17.07 बीघा घोषित किये जाने की इस्तदुआ वादपत्र में वादीगण द्वारा चाही गई है। पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त खेतायो की भूमि में से हिस्सा विशेष की भूमि खातेदारी में घोषित करने एवं बंटवारा हेतु निवेदन किया गया जो विभाजन पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 03.11.2021 को तहसीलदार जायल से प्रकरण हाजा में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु (प्राथमिक डिक्री) आदेश पारित किये गये।

तहसीलदार जायल ने आदेश की अनुपालना में जरिये पत्रांक : भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021/744 दिनांक 12.02.2021 के प्राप्त हुआ जो दिनांक 23.02.2021 पत्रावली में सामिल किया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर वसकुलाय को सुना गया है जिन्होने बंटवारा सही होना जाहिर किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार जायल द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व पक्षकारान् को जरिये नोटिस सूचित किया गया है तथा मौके पर उपस्थित पक्षकारान की सहमति से बंटवारा प्रस्ताव के तैयार किया गया। बंटवारे प्रस्ताव में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के सहमती हस्ताक्षर/अंगूठा निशान से स्पष्ट है। अतः हम वादीगण के वाद को माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 माफिक बंटवारा प्रस्ताव अर्थात प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट दिनांक 12.02.2021 के अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भूराराम के हक बंट कब्जा कशत एवं खातेदारी में मौजा साण्डिला तहसील–जायल के खसरा नं. 612 कुल रकबे में से 1.3516 हैक्टैयर भूमि उतरी भाग व खसरा नं. 118/308 रकबा 0.8882 हैक्टेयर सम्पुर्ण घोषित किया जाता है।
2. वादी बिरमाराम हक बंट कब्जा कशत एवं खातेदारी में मौजा साण्डिला तहसील–जायल के खसरा नं. 612 कुल रकबे में से 0.5828 हैक्टैयर भूमि दक्षिण भाग व खसरा नं 643 रकबा 1.6754 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित की जाती है।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव निर्णय आदेश का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल *

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 73/2019
भूराराम वगैरह बनाम धींसाराम वगैरह

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 73/2019

वादीगण –

1. भूराराम पुत्र धींसाराम जाति मेघवाल
2. बीरमाराम पुत्र धींसाराम जाति मेघवाल

निवासीगण– सांडिला, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. धींसाराम पुत्र भागीरथ जाति मेघवालनिवासी–सांडिला तहसील–जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री रामनारायण चौधरी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री शिवकुमार पाराशर प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है–

1. वादी भूराराम के हक बंट कब्जा कशत एवं खातेदारी में मौजा साण्डिला तहसील–जायल के खसरा नं. 612 कुल रकबे में से 1.3516 हैक्टैयर भूमि उतरी भाग व खसरा नं. 118/308 रकबा 0.8882 हैक्टेयर सम्पुर्ण घोषित किया जाता है।
2. वादी विरमाराम हक बंट कब्जा कशत एवं खातेदारी में मौजा साण्डिला तहसील–जायल के खसरा नं. 612 कुल रकबे में से 0.5828 हैक्टैयर भूमि दक्षिण भाग व खसरा नं 643 रकबा 1.6754 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित की जाती है।

तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव निर्णय आदेश का भाग रहेगा।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 73/2019

भूराराम वगैरह बनाम घींसाराम वगैरह

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व्याज – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..23/07/2021........ को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

23/07/2021

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner